Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में समाज कल्याण बोर्ड के कल्याण अधिकारी एवं एनजीओ संचालक को 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते व देते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *26 फरवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर मुख्यालय की तकनीकी सूचना के आधार पर आज शुक्रवार को जयपुर में कार्यवाही करते हुये समाज कल्याण बोर्ड जयपुर में कार्यरत वेलफेयर ऑफिसर बलदेव राज एवं एनजीओ संचालक राजेश शर्मा को 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते व देते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की तकनीकी सूचना के द्वारा यह मालूम हुआ कि समाज कल्याण बोर्ड के वेलफेयर ऑफिसर बलदेव राज द्वारा राजस्थान में विभिन्न एनजीओ संचालकों से निरीक्षण के दौरान सही रिपोर्ट भिजवाने एवं बिल भुगतान करवाने की एवज में भारी में मात्रा में रिश्वत राशि ली जा रही है एवं दूदू फैमिली काउंसलिंग सेन्टर के प्रबंधक राजेश शर्मा द्वारा आज 20 हजार रूपये रिश्वत राशि समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में दी जानी है। जिस पर एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह** के नेतृत्व में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करते हुये **वेलफेयर ऑफिसर बलदेव राज को एन.जी.ओ. संचालक राजेश शर्मा से** 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते एवं देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।